राजस्थान सरकार
खान (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक प.2(3)खान/ग्रुप–2/2016 जयपुर दिनांक: 2 - MAR 2017

निदेशक,
खान एवं भू–विज्ञान विभाग,
उदयपुर।

विषय: पूर्व में स्वीकृत एवं आवेदित खनन पट्टों की मेन्युअल एवं ऑटोकेड से की गई प्लोटिंग को सुधारने के संबंध में।

संदर्भ: निदेशालय का पत्र क्रमांक निदे/प.2/कास/नियम/2012/53 दिनांक 08.03.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि आपके प्रस्तावानुसार खनन पट्टों की ऑन लाईन जांच में यदि क्षेत्र का प्रारंभिक बिन्दु एवं अंतिम बिन्दु एक ही स्थान पर नहीं आता है, अर्थात् ट्रेवर्स क्लोज नहीं होता है तो अंतिम बिन्दु को प्रथम बिन्दु से मिला दिया जाये, जिसमें अंतिम लाईन की दूरी एवं बियरिंग परिवर्तित होगी। ऐसे प्रकरणों में निम्नानुसार कार्यवाही की जावें:–

(1) पांच हेक्टेयर तक के खनन पट्टों के क्षेत्रफल में यदि 5 प्रतिशत तक अंतर आता है तो संबंधित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता से उक्तानुसार ट्रेवर्स क्लोज करते हुए नई विवरण सूची तैयार करवाई जाकर निदेशालय के अनुमोदन पश्चात् पूरक संविदा की कार्यवाही की जावें। पूरक संविदा निष्पादन से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावें कि मौके पर कोई विवाद तो नहीं है।

(2) पांच हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल के खनन पट्टों के प्रकरण तथा बिन्दु संख्या 1 में वर्णित अनुसार यदि मिलान से क्षेत्रफल में 5 प्रतिशत से अधिक अन्तर आता है तो गुणावगुण के आधार पर प्रकरण शासन को प्रेषित किया जावें।

(3) बिन्दु संख्या 1 में वर्णित कार्यवाही करने पर यदि खनन पट्टे का कुछ भाग अन्य खनन पट्टे से ओवरलेप होता है तो जो खनन पट्टा बाद में स्वीकृत किया गया है, उसमें से ओवरलेप का क्षेत्रफल काटते हुए निदेशालय से अनुमोदन के पश्चात् पूरक संविदा की कार्यवाही की जावें। पूरक संविदा निष्पादन से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावें कि मौके पर कोई विवाद तो नहीं है।

जिन मास्टर मेप में एक से अधिक प्रारंभिक बिन्दु हैं एवं जिनको पूर्व में आपस में कम्पास एवं फीते से जोड़ा गया है। ऐसे मामले में प्रारंभिक बिन्दुओं को डी.जी.पी.एस. से सर्वे कर जोड़ते हुए मास्टर मेप तैयार किय जायें। उपरोक्त समस्त कार्यवाही तीन माह में आवश्यक रूप से सम्पन्न कर ली जावें।

भवदीय,

(इकबाल)
संयुक्त शासन सचिव

2 - MAR 2017

राजस्थान सरकार
Government of Rajasthan
निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग
DIRECTORATE OF MINES & GEOLOGY
खनिज भवन, उदयपुर – 313 001 / Khanij Bhawan, Udaipur – 313 001
दूरभाष / Phones: 2415091-95, फेक्स /Fax: 0294 - 2410 526
(E-mail: sme.minor@rajasthan.gov.in)

क्रमांक निदे/प 2/कास/184 - 255 दिनांक 10.3.17

शासन पत्र कमांक प.2(3)खान/ग्रुप–2/2010 जयपुर दिनांक 02.03.2017 को पृष्ठांकन किया निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. अतिरिक्त निदेशक (खान), जयपुर/कोटा/जोधपुर/उदयपुर/मुख्यालय/सतर्कता के.का., उदयपुर/पर्यावरण एवं विकास, के.का., उदयपुर ।
2. अधीक्षण खनि अभियन्ता,जयपुर/अजमेर/जोधपुर/उदयपुर/भीलवाडा/राजसमंद/कोटा/भरतपुर/बीकानेर । /अ.२ व अ. (मु-III)
3. खनि अभियन्ता,जयपुर/अजमेर/सीकर/मकराना/भरतपुर/करौली/धौलपुर/अलवर/कोटा/रामगंजमण्डी/बून्दी–I/II/जोधपुर/सिरोही/बीकानेर/नागौर/सोजत/उदयपुर/राजसमन्द–I/II/आमेट/भीलवाडा/चित्तौडगढ/प्रतापगढ/बिजौलिया/झुंझुनू/ब्यावर/जालोर/बाडमेर/श्रीगंगानगर/डुंगरपुर/बांसवाडा/जैसलमेर ।
4. सहायक खनि अभियन्ता,टौक/कोटपुतली/झालावाड/बालेसर/गोटन/सलूम्बर/ऋषभदेव/निम्बाहेडा/सवाईमाधोपुर/बांरा/दौसा/रूपवास/हनुमानगढ/चुरू/नीमकाथाना/सावर ।
5. डी.सी. जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/कोटा/रूल्स एण्ड पॉलिसी/ग्रेनाईट
6. रक्षित पत्रावली ।

10/3/17
(एन.के.कोठारी)
अधीक्षण खनि अभियन्ता (मु.–III)

राजस्थान–सरकार

कार्यालय अतिरिक्त निदेशक (खान) कोटा–जोन, कोटा

प्लॉट संख्या–3, खनिज भवन, टैगोर नगर, रावतभाटा रोड, कोटा

क्रमांकः– अनिखा/कोटा–जोन/ओएस/[redacted]/2017/1255-67 दिनांकः– 16.3.17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. श्रीमान निदेशक महोदय, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर को आपके पत्र क्रमांक 184–255 दिनांक 10.03.2017 के क्रम में।
2. अधीक्षण खनि अभियन्ता, वृत–कोटा/भरतपुर।
3. खनि अभियन्ता, कोटा/रामगंजमण्डी/बून्दी–1/बून्दी–II/भरतपुर/करौली/धौलपुर एवं सहायक खनि अभियन्ता, झालावाड/बारां/सवाई माधोपुर/रूपवास।

16/03/2017
अतिरिक्त निदेशक (खान)
कोटा–जोन कोटा।